न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-261/2016

1- मोहरसिंह पुत्र हनुमानाराम
2- दुर्गादेवी पत्नी हनुमानाराम
3- बनवारी पुत्र मूलाराम
4- बल्लू पुत्र मूलाराम
5- छोटू पुत्र मूलाराम
6- रामजीलाल पुत्र मूलाराम
7- विनोद पुत्र मोहनलाल
8- रोहिताश पुत्र मोहनलाल
9- छोटीदेवी पत्नी मोहनलाल
10-बनारसाराम पुत्र सुन्दरा
11-छोटूराम पुत्र सुन्दरा
12-फूलाराम पुत्र सुन्दरा
13-रामोतार पुत्र सुन्दरा
14-गोरधन पुत्र लतना

जाति मीणा निवासी चंवरा कैम्प के पास (गढला कला) ग्राम पोस्ट गढला कंला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- मदनलाल उर्फ माधाराम पुत्र भालाजी जाति मीणा निवासी चंवरा कैम्प के पास (गढलाकंला) ग्राम पोस्ट गढला कंला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

2- कुरडाराम पुत्र हनुमानाराम
3- उम्मेदसिंह पुत्र हनुमानाराम
4- राजेश पुत्र मोहनलाल

जाति मीणा निवासी चंवरा कैम्प के पास (गढला कंला) ग्राम पोस्ट गढला कंला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

5- कोशल्या पुत्री मोहनलाल पत्नी हेतराम जाति मीणा निवासी मीणो की ढाणी ग्राम सौथली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

6- मक्खनलाल
7- मनीराम

पुत्र सुन्दरा जाति मीणा निवासी चंवरा कैम्प के पास (गढला कंला) ग्राम पोस्ट गढला कंला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

8- किरणदेवी मनमोहन जाति मीणा निवासी ग्राम पोस्ट गढला कंला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसील व जिला झुन्झुनू(राज0)

10- कर्मा देवी पुत्री लसना पत्नी विजयसिंह जाति मीणा निवासी जोहड के पास ग्राम बेरी तहसील व जिला झुन्झुनू ।

11- स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू(राज0)

12- लैण्ड होल्डर तहसीलदार कम उप पंजीयक उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू(राज0)

--रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं अन्तिम
डिक्री दिनांक 15-7-2016 द्वारा
उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ।
---0---

उपस्थिति-

1- श्री विजयपाल एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री विनोद गिल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 21.5.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में 9 दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व रास्ता कायम करते हुये विभाजन का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हीरवाना में आराजी खाता सं0 नया-19 पुराना 18 की आराजी ख0नं0 492 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0नं0 493 रकबा 7.69 हैक्टर, ख0नं0 496 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 498 रकबा 5.97 हैक्टर, ख0नं0 502 रकबा 0.13 हैक्टर, ख0नं0 504 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 560/431 रकबा 0.22 हैक्टर, ख0नं0 588/505 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता-8 रकबा 14.26 हैक्टर अवस्थित है। जिसमें वादी 1/4 हिस्से, प्रतिवादी सं0-1 से 4 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0-5 से 13 का 5/24, प्रतिवादी सं0-14 से 19 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0- 20 का 7/11 हिस्सा प्रतिवादी सं0-21 से 24

पर मकान व चाह बनाकर आबाद है । विवादित आराजी के बीचों बीच चंवरा कैम्प से ककराना की ओर सडक जाती है । इस सडक के दक्षिण व उत्तर में उक्त विवादित आराजी का हिस्सा है । जिस पर वादी एवं प्रतिवादी ने मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा कर खेत बना रखे है । किन्तु राजस्व रेकार्ड शामलाती होने से प्रतिवादीगण वादी को बेवजह परेशान करते हैं तथा बिना विधिवत बंटवारा आराजी को बैचान करने की धमकी दे रहे हैं तथा नींव सींव से छेड़छाड करते हैं तथा ट्रेक्टर, ऊट गांडों को नहीं आने देते हैं। अतः वादी का 1/4 हि0 बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स रास्ते का प्रावधान रखते हुये विधिवत खाता विभाजन किया जावे । अदालत मातहत ने वादी का दावा स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता विभाजन कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-2 से 12 को अन्तिम डिक्री पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया । नियत पेशी दिनांक 2-8-2016 के पूर्व ही अदालत मातहत ने दिनांक 15-7-2016 को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-2 से 12 को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही आदेश पारित कर दिया । राजस्थान टीनेन्सी बोड आफ रेवेन्यू रूल्स 1955 के नियम-18 से 21 के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की है । निर्णय राजस्थान कोर्ट मैन्यूवल 1956 भाग द्वितीय के आदेशात्मक प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। निर्णय में पक्षकारों के नाम पते दर्ज नहीं है ।अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 15-7-2016 में केवल वकील वादी को ही उपस्थित दिखाया है केवल वादी के वकील के निवेदन पर ही आदेश पारित किया है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट2 से12 को नहीं सुना गया । नियत तारीख पेशी से पूर्व पत्रावली को तारीख पेशी पर लिये जाने की कोई सूचना हमे नहीं दी गई । विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार ने तैयार न कर पटवारी हल्का ने तैयार किये है जो पटवारी हल्का को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश नहीं थे । विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व

अपीलान्ट तारीख पेशी पर गया तो रीडर ने बताया कि आपका प्रकरण सीगा से नहीं निकला और कहा कि पत्रावली मिलने पर सूचना दे दी जावेगी। हमने रीडर की बात का विश्वास कर लिया । दिनांक 13-9-2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मौके पर रास्ता कायम करने की धमकी दी तथा ख0नं0 560/431 पर कब्जा करने की धमकी दी जब अपीलान्ट ने ऐसा करने का कारण पूछा तो रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री के बाबत बताया तब अपीलान्ट ने दिनांक 14-9-16 को जानकारी कर अन्तिम डिक्री की नकल लेने का आवेदन पेश किया जिस पर नकल 15-9-16 को प्राप्त हुई जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद में पेश की है । साथ ही अवधि अधिनियम दफा-5 का प्रार्थना पत्र पेश किया अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातह -हत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । विवादित आराजी की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी सं0-2068 से 2071 में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस् की संयुक्त खातेदारी में दावा के पैरा संख्या-2 में दर्ज अनुसार हिस्से में दर्ज है । पत्रावली में गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन किया गया । पत्रावली दिनांक 17-2-16 से तनकी कायम में निर्धारित रही । दिनांक 2-5-16 को प्रकरण में आगामी पेशी 30-6-16 नियत की गई जबकि इससे पूर्व ही दिनांक 13-6-2016 को पत्रावली को पेशी पर लिया गया और प्राथमिक डिक्री जारी कर गई । इसके बाद दिनांक 13-6-16 को आगामी पेशी 2-8-16 नियत की गई । अदालत मातहत ने नियत पेशी से पूर्व ही दिनांक 15-7-16 को दावे में अन्तिम डिक्री जारी की है जिसमें वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली को तलब किया गया । प्रतिवादीगण को कोई सूचना आदेशिका में दिया जाना स्पष्ट नहीं है ।

अर्थात अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया बल्कि नियत तारीख पेशी से पूर्व आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है । नियत तारीख पेशी से पूर्व पत्रावली को तारीख पेशी पर लिये जाने की कोई सूचना अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को दिया जाना साबित नहीं है साथ ही पत्रावली तनकीयात कायम करने में रही है । जो बिना विधिक प्रक्रिया के अपनाये निर्णित की है । अपीलान्ट को तारीख पेशी पर पूछने पर रीडर द्वारा पत्रावली सीगा से पेशी पर नहीं बताते हुये सूचना देने की बात कही है । अर्थात अपीलान्ट को नियत तारीख पेशी से पूर्व बिना सूचना दिये निर्णय पारित किया है। इस कारण अपीलान्ट की अपील को न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार किया जाता है । विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलान्ट ने प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी इस कारण अन्तिम डिक्री की अपील पोषणीय नहीं है जैसाकि एआईआर 1963§एस0 सी§ पेज 992, ए0आई0आर 1961§एस0सी0§790, आरआरटी 2006-07 पेज 114 में स्पष्ट किया है ।अपीलान्ट की अपील को पोषणीय नहीं बताया किन्तु प्रकरण में तथ्य भिन्न है । यहां पर प्रतिवादीगण को पेशी आगे बताई है पत्रावली का निर्णय तारीख पेशी से पूर्व ही कर दिया ।अर्थात अन्तिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया ।। इस कारण हम यहां पर यह उचित मानते हैं कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये आदेश पारित किया जावे । विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण को आपत्ति पेश करने का अवसर देते हुये प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित एवं विधिक मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट साबित होने से अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-7-2016 को खारिज किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है ।पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 29-6-2016 को उपस्थित होवे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 21.5.2018 को सुनाया गया ।

21/5/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर